

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि.उपखंड, विराटनगर, जिला – जयपुर

क्रमांक: विविध/2023/...~~07~~

दिनांक 09/02/2023

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समन्वित ग्राम्य विकास शिक्षा संस्थान द्वारा विराटनगर में संचालित कॉलेज जो कि खसरा नम्बर 935, 936, 937 ग्राम पापडी, विराटनगर की भूमि पर संचालित हैं महाविद्यालय के आवेदन पर दिनांक 08/02/2023 को निरीक्षण किया गया। जिसमें सुरक्षा सही पाई गई।

महाविद्यालय में ग्राउंड टैंक पर्याप्त क्षमता का बना हुआ हैं। जिसमें ट्यूबवेल से पानी भरकर रखा जाता हैं। तथा उस टैंक से पर्याप्त मात्रा में सम्पूर्ण संस्थान में पानी की पूर्ति की जाती हैं। महाविद्यालय के अन्दर अग्निशमन सुरक्षा उपकरण एस.बी.सी. मल्टीपरपज हॉल, लेब, क्लास रूम व गैलेरी में उपयुक्त स्थान पर लगाये गये हैं। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण चैक करने पर सही पाये गए तथा ग्राउंड टैंक से आपातकालीन परिस्थिति में पानी की सप्लाई व्यवस्था उचित पाई गई।

अतः उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा उपकरण व्यवस्था सही पाये जाने पर निम्न निर्देशों के साथ यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाता हैं।

1. महाविद्यालय के स्टाफ को वर्ष में एक बार अग्निशमन प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा जिसका रिकार्ड संधारण किया जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिलिंग करवाना होगा।
3. किसी भी निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यह प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष तक वैध होगा।
5. प्रमाण-पत्र की अवधि के दौरान अग्निशमन सुरक्षा उपकरण व्यवस्था में अव्यवस्था पाए जाने पर प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 09/02/2023 को हमारे हस्ताक्षर एवं मुद्रा के साथ जारी किया गया।


सहायक अभियन्ता
सा. नि. विभाग
उप खण्ड विराटनगर (जयपुर)